मूल हिंदी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 948

05 फरवरी, 2026 को उत्तर दिये जाने के लिए

राजस्थान में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की स्थिति

948. श्री बृजेन्द्र सिंह ओलाः

श्री राहुल कस्वांः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) आज की तिथि के अनुसार, देश में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी (पीएमएवाई-यू) के अंतर्गत स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण हो चुके आवासों का राज्य-वार, विशेषकर राजस्थान में, निर्माण कार्य पूरा किए जाने का अनुपात कितना है;

(ख) देश के समग्र औसत की तुलना में राजस्थान के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ग) राजस्थान में पीएमएवाई-यू परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी के क्या प्रमुख कारण हैं और सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं;

(घ) पीएमएवाई-यू के अंतर्गत झुंझुनू और चुरू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्रों में शहरी निकायों में विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान स्वीकृत और अभी तक अधूरा निर्माण किए गए आवासों की कुल संख्या कितनी है और उनका निर्माण कार्य पूरा होने में औसतन कितनी देरी हुई है;

(ङ) क्या सरकार ने पीएमएवाई-यू के अंतर्गत निधि संवितरण और निर्माण संबंधी प्रगति के संबंध में किसी स्वतंत्र तृतीय-पक्ष एजेंसी को नियुक्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी लाभार्थी-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या सरकार का चुरू लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में पीएमएवाई-यू के अंतर्गत देरी के कारण अधूरे निर्माण कार्य वाले आवासों का निर्माण समय पर पूरा करने के लिए समयबद्ध कार्य योजना लागू करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (च) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं वाले हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करने के उद्देश्य से 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) को कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के लिए देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। यह योजना चार घटकों अर्थात, लाभार्थी आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है।

पीएमएवाई-यू/पीएमएवाई-यू 2.0 एक मांग आधारित दृष्टिकोण अपनाता है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) ने पात्रता मानदंडों के आधार पर, अपने क्षेत्राधिकार में अपने शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से मांग सर्वेक्षण किया है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इस योजना के अंतर्गत आवासों की अपनी आकलित मांग के अनुसार परियोजना प्रस्ताव तैयार करते हैं और उन्हें संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) द्वारा अनुमोदित करवाते हैं। संबंधित एसएलएसएमसी से अनुमोदन के बाद, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) द्वारा केन्द्रीय सहायता के अनुमोदन के लिए इस मंत्रालय को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, मंत्रालय द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत अब तक राजस्थान सहित देश भर में पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत 10.66 लाख आवासों सहित कुल 122.28 लाख आवासों को स्वीकृति दी गई है। स्वीकृत आवासों में से 114.84 लाख आवास (94%) निर्माणाधीन हैं, जिनमें से दिनांक 22.01.2026 तक 97.02 लाख आवास (85%) पूरे किए जा चुके हैं/लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं।

राजस्थान राज्य में कुल 3,48,053 आवासों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें पीएमएवाई-यू 2.0 के अंतर्गत 55,653 आवास शामिल हैं, जिनमें से 3,11,612 (90%) आवासों की नींव रखी जा चुकी है, जिनमें से अब तक 2,64,828 आवास (85%) पूरे किए जा चुके हैं। राजस्थान सहित देश भर में

स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूरे किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

झुंझुनू और चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की कुल संख्या का ब्यौरा अनुलग्नक-II में दिया गया है।

इसके अलावा, योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, मिशन के बीएलसी/एएचपी/एआरएच घटकों के तहत निर्माण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए तृतीय पक्ष गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों (टीपीक्यूएमए) का प्रावधान है। टीपीक्यूएम एजेंसियों का कार्य परियोजना स्थल का दौरा करना है और गुणवत्ता संबंधी मुद्दों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और शहरी स्थानीय निकायों को सलाह देना है।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार, केंद्रीय सहायता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जरूरी शर्तों को पूरा करने पर दी जाती है, जैसे कि उपयोग प्रमाण पत्र (यूसी), टीपीक्यूएमए की सिफारिशों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर), आवासों/परियोजनाओं के निर्माण चरणों की प्रगति की जियो-टैगिंग, भू संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) के तहत परियोजनाओं का पंजीकरण, आदि।

मंत्रालय योजना की प्रगति के लिए चूरू लोकसभा क्षेत्र सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा करता है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा समय पर अनुपालन प्रस्तुत करना शामिल है ताकि आगे कि केंद्रीय सहायता जारी की जा सके और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 05-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 948 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक - **I**

पीएमएवाई-यू और पीएमएवाई-यू 2.0 के तहत राजस्थान सहित स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		
			स्वीकृत	निर्णाणाधीन	निर्माण कार्य पूर्ण
1	राज्य	आंध्र प्रदेश	19,48,070	18,34,207	11,23,682
2		बिहार	4,45,103	3,72,294	1,98,481
3		छत्तीसगढ़	3,05,910	2,91,215	2,62,437
4		गोवा	3,174	3,174	3,174
5		गुजरात	10,29,497	10,02,277	9,66,065
6		हरियाणा	1,32,846	86,725	73,134
7		हिमाचल प्रदेश	14,026	12,940	11,914
8		झारखंड	2,43,358	2,10,742	1,65,760
9		कर्नाटक	5,77,669	4,98,457	3,99,076
10		केरल	1,62,134	1,55,608	1,39,646
11		मध्य प्रदेश	10,02,259	9,51,660	8,96,760
12		महाराष्ट्र	12,78,999	11,75,695	10,43,061
13		ओडिशा	2,23,972	1,92,718	1,69,067
14		पंजाब	1,50,610	1,24,216	1,02,370
15		राजस्थान	3,48,053	3,11,612	2,64,828
16		तमिलनाडु	6,79,186	6,68,510	6,20,093
17		तेलंगाना	3,62,294	2,49,402	2,25,397
18		उत्तर प्रदेश	21,02,327	17,63,737	17,17,547
19		उत्तराखंड	66,577	63,525	51,565
20		पश्चिम बंगाल	6,18,380	6,09,513	5,09,483
उप-योग (राज्य)			**1,16,94,444**	**1,05,78,227**	**89,43,540**

क्र.सं.		राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आवासों की भौतिक प्रगति (संख्या)		
			स्वीकृत	निर्णाणाधीन	निर्माण पूरा किया गया
21	पूर्वोत्तर राज्य	अरुणाचल प्रदेश	13,346	11,924	8,471
22		असम	1,87,028	1,73,323	1,44,107
23		मणिपुर	56,047	50,201	22,466
24		मेघालय	7,072	4,125	2,841
25		मिजोरम	39,616	39,123	33,946
26		नागालैंड	31,067	31,060	30,147
27		सिक्किम	299	299	219
28		त्रिपुरा	90,315	88,468	81,921
उप-योग (पूर्वोत्तर राज्य)			**4,24,790**	**3,98,523**	**3,24,118**
29	संघ राज्य क्षेत्र	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	377	377	234
30		चंडीगढ़	1,278	1,278	1,278
31		दमन और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	10,367	10,367	9,933
32		दिल्ली	32,075	32,075	32,075
33		जम्मू और कश्मीर	45,112	42,760	35,167
34		लद्दाख	1,434	1,030	968
35		पुडुचेरी	18,253	18,047	12,543
उप-योग (यूटी)			**1,08,896**	**1,05,934**	**92,198**
कुल योग			**122.28 लाख**	**114.84 लाख***	**97.02 लाख***

* मिशन अवधि के दौरान जेएनएनयूआरएम के पूर्ण (3.42 लाख)/निर्माणाधीन (4.01 लाख)/सौंपे गए (4.90 लाख) आवास शामिल हैं।

अनुलग्नक - II

दिनांक 05-02-2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 948 के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक- II

झुंझुनू और चूरू लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले पांच वर्षों और चालू वर्ष के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की कुल संख्या का विवरण

विवरण	झुंझुनू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	चुरू संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
स्वीकृत आवास (संख्या)	1,946	4,115
निर्माणाधीन आवास (संख्या)*	2,024	3,381
पूर्ण किए जा चुके आवास (संख्या)	1,757	2,835

* इसमें उन आवासों को शामिल किया गया है जो पिछले वर्षों में स्वीकृत किए गए थे और इन वर्षों में निर्माणाधीन थे और पूर्ण किए गए।